न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 35/2021

प्रेम पुत्री मथुरा, जाति माली, निवासी ग्राम सांपला, तहसील सरवाड़, हाल निवासी केकड़ी, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, सरवाड़ ....रेस्पोन्डेन्ट

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–1. श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश गुर्जर, सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक–20.09.2022

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि संवत् 2078 में प्रेम पुत्री मथुरा, जाति माली, निवासी सांपला, तहसील सरवाड़, हाल निवासी केकड़ी, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ने ग्राम सांपला के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 37 रकबा 0.04 हैक्टर किस्म गैर मु0 रास्ता पर अनाधिकृत रूप से सीमेन्ट के खम्भे से लोहे की जाली लगाकर अतिक्रमण कर लिया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट नायब तहसीलदार सरवाड़ के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरूद्व राजस्व प्रकरण संख्या 211/2021 पंजीकृत किया जाकर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 15.06.2021 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशानुसार अतिक्रमी की विवादित भूमि से बेदखली व शास्ति कायम करने के आदेश दिये गये। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 15.06.2021 से अप्रसन्न होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। पैरोकार सरकार द्वारा मियाद के बिन्दु पर एतराज दर्ज नहीं करवाये जाने पर न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन कर उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि पटवारी हल्का सांपला द्वारा दिनांक 08.06.2021 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तारीख पेशी 15.06.2021 नियत की गई किन्तु सरसरी तौर पर अपीलान्ट को बिना कोई नोटिस जारी किये व बिना नोटिस तामील कराये अप्रार्थिया को अनुपस्थित

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

बताकर एकतरफा कार्यवाही करते हुए उसी दिन बेदखली के आदेश पारित कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर ध्यान नहीं दिया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के तहत अपीलान्ट को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक था किन्तु अपीलान्ट को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिये बिना आक्षेपीय आदेश पारित करने में गंभीर वैधानिक त्रुटि कारित की है। उनका आगे कथन है कि सम्पूर्ण राजस्थान में कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन होने से माननीय राजस्व मण्डल राज0, अजमेर द्वारा किसी भी न्यायालय स्तर से किसी भी पक्षकार के विरूद्ध कोई प्रभावी आदेश पारित नहीं किये जाने के निर्देश जारी किये हुए थे। इसके उपरान्त भी अपीलान्ट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना एवं राज्य सरकार के आदेशों की पालना नहीं कर सरसरी तौर पर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए बिना न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। वकील अपीलान्ट का कथन है कि विवादग्रस्त आराजी के लगवा अपीलान्ट की खातेदारी काश्तकारी की आराजी स्थित है। अपीलान्ट द्वारा गै0मु0 रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण नहीं कर अपनी खातेदारी काश्तकारी आराजी के चारों ओर लोहे के खम्भे लगाकर जाली लगाई गई थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जांच किये आनन फानन में एकतरफा में आक्षेपित आदेश पारित कर दिया है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में पैरोकार सरकार का कथन है कि अपीलान्ट द्वारा गैर मुमकिन रास्ते की सिवायचक भूमि पर अनाधिकृत रूप से सीमेन्ट के खम्भे से लोहे की जाली लगाकर अतिक्रमण किया गया है जो पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से सिद्ध होता है। अपीलान्ट का यह कथन गलत है कि उन्हें नोटिस जारी किये बिना व तामील कराये बिना सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया जाकर आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर देकर मौका जांच में विवादित भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है जो न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर अनाधिकृत रूप से सीमेन्ट के खम्भे से लोहे की जाली लगाकर अतिक्रमण किया गया है। विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज होने के साथ ही गैर मुमकिन रास्ते की भूमि है जो नियमन योग्य भी नहीं है। अपीलान्ट का यह कथन भी गलत है कि उन्हें नोटिस जारी/तामील कराये बिना तथा साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट को नोटिस जारी किया जाकर नियमानुसार तामील करवाया गया है किन्तु वे बावजूद सूचना सुनवाई का अवसर दिये जाने के उपरान्त नियत तारीख पेशी पर अनुपस्थित रही। उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर देकर मौके की जांच करने के पश्चात् अतिक्रमण पाये जाने पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है, उसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। हम उक्त आदेश में किसी प्रकार से हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट सारहीन एवं भारहीन होने से निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 20.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर
अजमेर

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर
अजमेर